

30 5
2024

पत्रावली पेश हुई... उभयपक्षीय संघ द्वारा
अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक
10.6.24 को पेश की जावे

Bij
25/6

Noted
m

30 6
2024

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान्
उपस्थित। पेशकार सरकार ने न्यायालय
में उपस्थित हो जवाब प्रस्तुत करने से
इन्कार कर पत्रावली में No-objection
प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी ने आज ही
वह करे का निवेदन कर 310 पत्र
द्वारा - 128 पर ~~वह~~ अग्रिम युक्ति। पत्रावली
का अवलोकन किया गया। 310 पत्र द्वारा
- 128 व पत्रावली में शामिल दस्तावेजों
का गहनता से अवलोकन किया गया व
अनन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा वह
के दौरान की गई दलीला ले हम
लंग्रह है। प्रार्थी का 310 पत्र अन्तर्गत
द्वारा - 128 जाबत पत्थरगटी का हकीकार
योग्य पाया जाता है। अतः वकील
प्रार्थी का 310 पत्र हकीकार योग्य

10/6/24



Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

दिलीप कुमार

मुकाम : रावतभाटा

बनाम

भूमिधारी तस्वीलदा

किस्म मुकदमा

प्रा० पत्र

नं०

30

सन्

2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
	<p>पाठे जाते हैं स्वीकार किया जाता है। प्रा० पत्र द्वारा - 188 का निर्णय प्रथम ले लिजाया जाकर खुले न्यायालय की इजलाह में सुनाया गया। पत्रावली फैलल शुमार है। दर्ज रजिस्टर से कम किया जाकर शामिल दफतर है।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)</p>	